

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 214 / 2010 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 30.08.2010

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

### **बनाम**

1. रामअख्त्यार उर्फ मुन्ना पुत्र सरदारसिंह गुर्जर उम्र 50 वर्ष। निवासी रुद का पुरा खरौआ थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।
2. नारयणसिंह पुत्र भारतसिंह गुर्जर उम्र 28 वर्ष।
3. जितेन्द्रसिंह पुत्र अचलसिंह गुर्जर उम्र 37 वर्ष।
4. शिशुपालसिंह उर्फ छुन्ना पुत्र रामसिंह गुर्जर उम्र 35 वर्ष।
5. गुड्डू उर्फ विश्वनाथ पुत्र दशरथसिंह गुर्जर उम्र 40 वर्ष।
6. राकेश पुत्र रामेश्वरसिंह गुर्जर उम्र 27 वर्ष।  
समस्त निवासी ग्राम खरौआ थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.। .....अभियुक्तगण

---

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार  
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0कं0 337 / 2010 इ0फौ0  
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र0 214 / 2010

---

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।  
अभियुक्तगण द्वारा श्री के.सी.उपाध्याय, श्री हृदेश शुक्ला एवं  
श्री सुनील कांकर अधिवक्तागण

---

// नि-र्ण-य //

// आज दिनांक 28-7-2015 को घोषित किया गया //

01. अभियुक्त रामअख्त्यार का विचारण धारा 307 विकल्प में धारा 307 / 149, 148

भा0दं0वि0 के आरोप के अपराध के संबंध में एवं अन्य आरोपी गुड्डू उर्फ विश्वनाथ और राकेश का विचारण धारा 307/149, 148 भा0दं0वि0 के आरोप के अपराध के संबंध में तथा आरोपी शिशुपाल और जितेन्द्र का विचारण धारा 307/149, 147 भा0दं0वि0 एवं आरोपी नारायण का विचारण धारा 307/149, 148 भा0दं0वि0 एवं धारा 25(1-बी)ए एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के आरोप के अपराध के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 21.01.2010 को 02:15 बजे ग्राम खरौआ में स्थिति शासकीय स्कूल में पोलिंगबूथ में विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जिसके सामान्य उद्देश्य वल व हिंसा का प्रयोग करने का था इस दौरान वल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया तथा उस समय घातक आयुध से सुसज्जित थे। आरोपी रामअख्यार पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर इस आशय या ज्ञान से या ऐसी परिस्थितियों में भवरसिंह पर फायर किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो हत्या के दोषी हो जाते तथा उक्त आरोपी पर वैकल्पिक रूप से तथा अन्य आरोपियों पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए जिसके सामान्य उद्देश्य भवरसिंह की हत्या करने का था उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए समूह के किसी या कुछ सदस्यों के द्वारा कट्टा व अधिया से फायर इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में किया कि यदि उक्त कृत्य के कारण उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी हो जाते और इस प्रकार भवरसिंह को उपहति कारित हुई। आरोपी नारायण पर यह भी आरोप है कि वह अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा बिना किसी अनुज्ञप्ति के रखे हुए थे तथा उस पर यह भी आरोप है कि उसके द्वारा कट्टा का उपयोग प्राणघातक उपहति कारित करने के आशय से किया गया।

02. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 21.01.2010 को ग्राम खरौआ में शासकीय प्राथमिक स्कूल में पंचायत चुनाव के संबंध में बोटिंग चल रही थी। वहाँ पर पोलिंगबूथ क्रमांक 176, 177 बना था। फरियादी भंवरसिंह अपने लडके सूर्यभान उर्फ बंटी व योगेन्द्रसिंह के साथ बोट डालने हेतु गया था। स्कूल के पास ही गांव के रामअख्यार 12 बोर की बंदूक लिए हुए, राकेश 315 बोर का कट्टा, नारायण 315 बोर का कट्टा, जितेन्द्र खाली हाथ, गुड्डू अधिया, शिशुपाल खाली हाथ मिला। उन्हें देखते ही जितेन्द्र के द्वारा यह कहा गया कि सालों को मारो खत्म कर दो तभी आरोपी रामअख्यार ने उसे जान से मारने की नियत से गोली चलाई जो कि वह बच गया और गोली उसकी दाहिने हाथ की कोहनी में लगी खून निकल आया। अन्य आरोपी राकेश, नारायण, गुड्डू ने भी गोलियाँ चलाई। पोलिंगबूथ पर लगी हुई पुलिस चिल्लाई तो वह लोग सरसों के खेत में चले गए। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी भंवरसिंह के द्वारा थाना गोहद में आकर की गई जिस पर से थाना गोहद

में अपराध क्रमांक 26/2010 धारा 147, 148, 149 एवं 307 भा0दं0वि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। प्रकरण की विवेचना आगे की गई। घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लिए गए, घटनास्थल से चार खाली खोखे 315 बोर के जप्त किए गए। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपी नारायण के मेमोरेडम कथन के आधार पर उसके पेश करने पर एक 315 बोर का कट्टा चालू हालत में और एक कारतूस की बरामदगी उसके मकान ग्राम खरौआ से दिनांक 28.03.2010 को की गई। जप्तशुदा हथियार परीक्षण हेतु भेजा गया। आरोपी नारायण के संबंध में आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर स्वीकृति उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. आरोपी रामअख्त्यार के विरुद्ध धारा 307 विकल्प में धारा 307/149, 148 भा0दं0वि0 एवं अन्य आरोपी गुड्डू उर्फ विश्वनाथ और राकेश के विरुद्ध धारा 307/149, 148 भा0दं0वि0 तथा आरोपी शिशुपाल और जितेन्द्र के विरुद्ध धारा 307/149, 147 भा0दं0वि0 एवं आरोपी नारायण के विरुद्ध धारा 307/149, 148 भा0दं0वि0 एवं धारा 25(1-बी)ए एवं धारा 27 आयुध अधिनियम का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताया है तथा गांव की पार्टीबंदी के कारण उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया जाना बताया है। बचाव में बचाव साक्षी लोकेन्द्र वर्मा व0सा0 1, साक्षी जे.एस.वर्मा व0सा0 2 तथा स्वयं आरोपी रामअख्त्यार बचाव साक्षी क्रमांक 3 के रूप में कथन कराए गए हैं।

05. आरोपी के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 21.01.2010 को 02:15 बजे ग्राम खरौआ शासकीय प्राथमिक स्कूल में फरियादी भवरसिंह पर आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा इस आशय या ज्ञान से या ऐसी परिस्थितियों में फायर किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या की दोषी होते?
2. क्या उपरोक्त घटना में फरियादी भवरसिंह को गोली से चोट पहुँचाकर उपहति कारित की गई?

3. क्या आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए जो कि भवरसिंह की हत्या करने हेतु इस आशय या ज्ञान से या ऐसी परिस्थितियों में उस पर फायर किया गया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी होते और इस प्रकार उसे उपहति कारित की?
4. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उसके सदस्य रहते हुए फरियादी भवरसिंह पर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया और इस दौरान आरोपी रामअख्त्यार, गुड्डू उर्फ विश्वनाथ तथा राकेश घातक आयुधों से सुसज्जित थे?
5. क्या आरोपी नारायण अपने आधिपत्य में 315 बोर के कट्टा बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे हुए था?
6. क्या आरोपी नारायण के द्वारा उक्त कट्टे का उपयोग फरियादी को प्राणघातक उपहति कारित करने के आशय से किया गया?

### —: सकारण निष्कर्ष :—

#### बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 4 का सकारण निष्कर्ष :-

06. अभियोजन प्रकरण के संबंध में घटना के फरियादी/रिपोर्टकर्ता भवरसिंह अ0सा0 2 साक्ष्य कथन में उपस्थिति एवं अनुपस्थिति आरोपीगण को जानना पहिचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि वह उसके गांव के है। साक्ष्य दिनांक से करीब चार साल पहले दोपहर दो ढाई बजे के समय की घटना है। स्कूल में मदतान केन्द्र पर बोट डाले जा रहे थे। वह अपने लडके बंटी और जोगेन्द्र के बोट डलवाने गया था जो कि पंचायत चुनाव था। वहीं पर आरोपी रामअख्त्यार और शिशुपाल थे। रामअख्त्यार 12 बोर की बंदूक लिए थे और शिशुपाल खाली हाथ था। इसके अतिरिक्त अन्य लोग भी थे जो कि लाठी, फर्सा लिए हुए थे, उनको वह नहीं पहिचानता। रामअख्त्यार ने उनको देखते ही मारो सालों को और बंदूक से फायर किया जो कि उसके बाएं हाथ की कोहनी के ऊपर और नीचे छर्रे लगे। घटना की रिपोर्ट उसने लिखाई थी। रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी रामअख्त्यार ने आवाज दी थी कि निकल जाओ नहीं तो जान से खत्म कर देंगे। गोली लगने पर वह जमीन पर गिर गया था। पुलिस वालों ने जो चुनाव के दौरान आ गए थे उन्होंने गोलियाँ चलाई जिसपर आरोपीगण भाग गए थे। उसे पुलिस वाले अपनी गाड़ी में थाना लाए थे फिर गोहद अस्पताल ले गए थे जहाँ से उसे ग्वालियर रेफर किया गया

था। साक्षी के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने चोट के निशान दिखाए तो उसके बाएं हाथ की कोहनी के ऊपर व नीचे चोट के निशान दिखाई दिए।

07. घटना के संबंध में अन्य अभियोजन साक्षी जोगेन्द्र अ0सा0 3 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक को पोलिंगबूथ पर वह बंटी और उसके चाचा भवरसिंह बोट डालने के लिए गए थे। बोट डालने के लिए मतदानकेन्द्र पर पहुंचे तो रामअख्यार 12 बोर बंदूक, शिशुपाल लाठी लिए तथा उनके साथ अन्य लोग थे जिन्हें वह नहीं पहचान सका था। भवरसिंह पर रामअख्यार ने गोली मारी जो बाएं हाथ में लगी जिससे भवरसिंह गिर पड़ा। फिर पुलिस आ गई पुलिस ने गोली चलाई तब आरोपीगण भाग गए। भवरसिंह ने रिपोर्ट लिखाई थी। इसी प्रकार का कथन बंटी उर्फ सूर्यभान अ0सा0 4 के द्वारा भी किया गया है और यह बताया है कि घटना दिनांक को पंचायत चुनाव की बोटिंग के दौरान उसके पेट में दर्द हो रहा था और उसके पिता भी उसके साथ बोट डालने के लिए ले गए थे, तभी रामअख्यार, शिशुपाल व अन्य पांच छः लोग आए और गाली गलोज करने लगे तथा रामअख्यार ने 12 बोर की बंदूक से जान से मारने की नियत से उसके पिता पर फायर किया जो उसके हाथ में गोली लगी। वह चिल्लाने लगा और स्कूल के बगल में हो गए। मतदान केन्द्र पर तैनात गार्डों ने भी हवाई फायर किये थे और उन्हें बचाया था। उसके बाद पुलिस आ गई थी। उसके पिता को गोहद लाया गया था और अस्पताल भेजा गया था। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था जो प्र.पी. 4 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस के द्वारा कारतूस के खाली खोखे घटनास्थल से जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 5 बनाया था।

08. अभियोजन साक्षी सुरेश दुवे अ0सा0 1 जो कि घटना दिनांक 21.01.2010 को पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम खरौआ में पोलिंगबूथ क्रमांक 177 पर तैनात था, के द्वारा यह बताया गया है कि करीब सवा दो बजे जब मतदान चल रहा था, मतदान केन्द्र के पास सरसों के खेत में से दस बारह लोग फायर करने लगे थे। बाद में उसे पता चला था कि किसी का बंदूक के फायर से छर्रा लगा है। वे लोग बूथ पर छिपकर बैठ गए और पोलिंग बंद कर दी। उसके साथ के आरक्षक सुरेन्द्र, रामप्रताप ने भी बचाव में फायर किए थे। फायर करने वाले कौन कौन थे वह नहीं पहचान पाया था। गोहद थाना के पदस्थ आरक्षक जगन्नाथ के द्वारा आरोपीगण को पहचाना गया था। इस संबंध में साक्षी रामप्रताप अ0सा0 7 के द्वारा भी यह बताया गा है कि पोलिंगबूथ पर जब वह ड्यूटी पर थे तो दो पाक्षों में आपस में गोलियाँ चलने लगी गई थी। भवरसिंह को गोली लगी थी। गोली चलाने वाले 6 लोग भाग गए थे। आरक्षक जगन्नाथ ने बताया था कि गोली चलाने वाले रामअख्यार, जितेन्द्र, गुड्डू, राकेश एवं नारायण

वगैरह थे। आरोपी रामअख्यार की पहिचान उसके द्वारा की गई है।

09. अभियोजन साक्षी जगन्नाथप्रसाद अ0सा0 8 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि घटना दिनांक को पोलिंगबूथ क्रमांक 176 एवं 177 ग्राम खरौआ में पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान वह ड्यूटी पर थे। मतदान चल रहा था। करीब दो – सवा दो अचानक गोली चलना शुरू हो गई। गोली की आवाज सुनकर पुलिस वाले आड में छिप गए एवं आत्मरक्षा हेतु उन्होंने भी गोली चलाई। गोली चलाने वाले लोग सरसों के खेत की तरफ चले गए। अन्य अभियोजन साक्षी आरक्षक सुरेन्द्रसिंह अ0सा0 10 जो कि पोलिंगबूथ क्रमांक 176 पर ड्यूटी पर थे के द्वारा यह बताया गया है कि करीब सवा दो बजे ग्रामीणों में आपस में गोली चलने लगी गई थी। आरक्षक जगन्नाथ ने बताया थ कि एक पार्टी रामअख्यार, जितेन्द्र, नारायण, गुड्डू एवं श्रीकृष्ण तथा अन्य पार्टी जिसमें गोली लगी थी उसमें घायल भंवरसिंह व बंटी एवं एक आदमी और था वह लोग चिल्लाए तो रामअख्यार आदि लोग सरसों के खेत में चले गए थे। घायल को लेकर बंटी बगैर गांव की तरफ चले गए।

10. अभियोजन साक्षी ज्वानसिंह अ0सा0 5 तथा सुन्दरसिंह अ0सा0 6 जो कि आरोपी नारायण के मेमोरेडम के आधार पर जप्ती के संबंध में साक्षी है। उक्त दोनों ही साक्षीगण के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

11. प्रकरण के प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एवं विवेचना अधिकारी अमरनाथ वर्मा अ0सा0 14 जो कि दिनांक 21.01.2010 को थाना प्रभारी गोहद के पद पर पदस्थ दौरान फरियादी भंवरसिंह की रिपोर्ट उसके बताए अनुसार लेखबद्ध करना जो कि प्र.पी. 1 पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। विवेचना के दौरान साक्षी भंवरसिंह, जोगेन्द्र, आरक्षक जगन्नाथ, सुरेश दुवे, साक्षी बंटी उर्फ सूर्यभान, सुरेन्द्र एवं रामप्रताप के कथन लेखबद्ध किया जाना, घटना स्थल का सूर्यभान की निशानदेही पर नक्शामौका प्र.पी. 4 तैयार किया था। इसके अतिरिक्त घटनास्थल से चार खोखे पीतल के 315 बोर के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 तैयार करना और आरोपी जितेन्द्र एवं शिशुपाल की गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 10 व 11 बनाया जाना बताया है। प्रकरण के अन्य विवेचना अधिकारी के.एस.तोमर अ0सा0 13 जिनके द्वारा कि आरोपी विश्वनाथ उर्फ गुड्डू, राकेश, आरोपी रामअख्यार की गिरफ्तारी की गई और आरोपी नारायण से पूछताछ कर उसके द्वारा 315 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस अपने घर पर छिपाना और चलकर बरामद करा देना बताया था जो कि मेमोरेडम प्र. पी. 6 जिस पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। दिनांक 28.03.2010 को आरोपी नारायण के बताए अनुसार उसके घर से देशी कट्टा और एक रायफल पेश करने पर जप्त कर जप्ती

पत्रक प्र.पी. 7 तैयार करना जिस पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। आरोपी रामअख्यार से पूछताछ कर उसके द्वारा पूछताछ में 12 बोर की बंदूक एकनाली एवं दो जिंदा कारतूस 12 बोर के थाना गोहद पुलिस के द्वारा जप्त करना मेमोरेडम कथन प्र.पी. 18 का लेखबद्ध किया गया जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

12. बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी लोकेन्द्र वर्मा व0सा0 1, जे0एस0कुशवाह व0सा0 2 जो कि घटना दिनांक को पोलिंगबूथ क्रमांक 176 व 177 पर मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी थे उनके कथन कराए हैं। उक्त साक्षियों के द्वारा यह बताया गया है कि घटना दिनांक को चुनाव के दौरान मतदान केन्द्र के अंदर कोई झगडा विवाद नहीं हुआ था और न ही पोलिंग का काम रुका था। मतदान केन्द्र के सौ मीटर की सीमा तक कोई विवाद होता है तो इसका उल्लेख उनकी डायरी में किया जाता है। साक्षी रामअख्यार बचाव साक्षी क्रमांक 3 के द्वारा यह बताया गया है कि वह कथित घटना के समय कमलपुरा पोलिंग पर था उसे झूठे अपराध में फसाया गया है। उसने इस संबंध में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भी शिकायत की थी। इस संबंध में वार्ड क्रमांक 5 गोहद की मतदाता सूची प्र.डी. 1 पेश करना बताया है।

13. अभियोजन एवं बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में साक्षियों के साक्ष्य कथन की विश्वसनीयता एवं उनके साक्ष्यमूल्य पर विचार किया जाना उचित होगा।

14. घटना के आहत/फरियादी भवरसिंह के साक्ष्य कथन का जहाँ तक प्रश्न है। उक्त फरियादी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में स्पष्ट रूप से आरोपी रामअख्यार के घटनास्थल पर 12 बोर की बंदूक लिए मौजूद होना और उसके द्वारा उसे देखते ही मारो साले को बंदूक से फायर करना जो कि उसके बाएं हाथ की कोहनी के ऊपर व नीचे गोली के छर्रे लगकर चोट आना बताया है। उक्त साक्षी के द्वारा घटनास्थल पर अन्य आरोपी शिशुपाल के भी मौजूद होना और उनके अलावा अन्य लोग भी लाठी, फर्सा लिए हुए मौजूद होना बताया है, किन्तु उनकी पहचान उसके द्वारा नहीं की जा सकी है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 लिखाया जाना भी उसके द्वारा बताया गया है।

15. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 जो कि घटना के एक घण्टे के अंदर थाना गोहद में दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी आरोपी रामअख्यार के घटना स्थल पर 12 बोर की बंदूक लिए हुए अन्य सहयोगी आरोपीगण के साथ आने एवं रामअख्यार के द्वारा गोली जान से मारने की नियत से उसे मारना जो कि उसके द्वारा बताया जाना और

उसके बाएं हाथ की कोहनी में गोली लगना उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लेखबद्ध कराया गया है। इस प्रकार जहाँ तक आरोपी रामअख्त्यार के घटनास्थल पर अग्नेयशस्त्र के साथ मौजूद होने और उसके द्वारा फरियादी/आहत भवरसिंह पर फायर किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्य का समर्थन फरियादी भवरसिंह के द्वारा न्यायालय में हुए साक्ष्य कथन के दौरान स्पष्ट रूप से किया है।

16. यद्यपि उक्त साक्षी भवरसिंह अ0सा0 2 के द्वारा घटनास्थल पर आरोपी रामअख्त्यार एवं शिशुपाल के अतिरिक्त अन्य लोगों की मौजूदगी बताई गई है, किन्तु अन्य लोगों की पहचान उसके द्वारा नहीं की जा सकी है। अभियोजन के द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में उक्त साक्षी भवरसिंह को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं इस दौरान उसके कथनों में अन्य विचारित किए जा रहे आरोपीगण के घटनास्थल पर मौजूद होने अथवा उनके द्वारा कोई कृत्य किये जाने के संबंध में दिये गए सुझावों को उसके द्वारा इंकार किया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त फरियादी साक्षी के द्वारा घटना के समय आरोपी रामअख्त्यार और शिशुपाल के मौजूद होना बताए गए अन्य आरोपियों की पहचान नहीं की गई है और उसे इस कारण पक्षद्रोही घोषित किया गया है उसके सम्पूर्ण साक्ष्य कथन को दरकिनार करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य कथन का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सतपाल सिंह वि0 दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 294, स्टेट ऑफ यू.पी. वि0 चेताराम ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 1543, खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 1853, तूफान सिंह वि0 स्टेट ऑफ एम.पी. 2005(1)एम.पी.एल.जे. 452 उल्लेखनीय है, जिसमें कि माननीय न्यायालय के द्वारा यह अभिधारित किया गया है कि यदि कोई साक्षी पक्षद्रोही घोषित किया गया है तो मात्र इस आधार पर उसकी सम्पूर्ण साक्ष्य निरर्थक या वासआउट नहीं हो जाती और उसके साक्ष्य को पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। यदि उसके साक्ष्य का कुछ भाग अभियोजन मामले का समर्थन करता है और वह भाग सही होना पाया जाता है तो उस पर विश्वास किया जा सकता है।

17. वर्तमान प्रकरण के फरियादी/आहत भवरसिंह अ0सा0 2 के साक्ष्य कथन का जहाँ तक प्रश्न है। उक्त साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से आरोपी रामअख्त्यार की घटना के समय घटना स्थल पर मौजूदगी एवं उसके द्वारा बंदूक से उस पर फायर किया जाना के बारे में बताया है जो कि बंदूक से उसके हाथ में चोट भी लगी है और साक्षी के द्वारा साक्ष्य के समय चोट न्यायालय के समक्ष दिखाई भी गई है जो कि उसके बाएं हाथ की कोहनी के नीचे एवं कोहनी के ऊपर चोट के निशान होना भी स्पष्ट रूप से न्यायालय के द्वारा पाया गया है।



18. उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथन का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि आरोपी शिशुपाल के पिता रामसिंह का कत्ल हुआ था जिसमें कि उसके भाई आरोपी थे और उन पर हत्या का प्रकरण चला था। रामअख्यार के बाबा की हत्या का प्रकरण उसके पिता के ऊपर चलने के संबंध में जानकारी न होना बताया है। मात्र इस आधार पर कि अन्य आरोपी शिशुपाल के पिता की हत्या का कोई प्रकरण फरियादी के भाईयों के ऊपर चला है, उसके द्वारा रंजिशन आरोपी रामअख्यार के विरुद्ध कोई कथन उसे झूठा फंसाने हेतु किये जाने का कोई आधार नहीं हो सकता है। घटना दिनांक को पोलिंगबूथ पर जाने के संबंध में साक्षी के द्वारा इस बात को स्वीकार किया है कि उसका नाम गांव की मतदाता सूची में नहीं था और उसने अपना मत नहीं डाला था, किन्तु उसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अपने बच्चे बंटी को लेकर बोट डलाने गया था जो कि बंटी के पेट में दर्द होने से साथ लेकर बोट डलवाने गया था, जैसा कि इस संबंध में बंटी उर्फ सूर्यभान अ0सा0 4 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में इस बात को स्पष्ट किया है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त घटना पोलिंगबूथ के बाहर की है और पोलिंगबूथ के बाहर 100 मीटर की परिधि में बोट डालने वाला या उसके सहयोगी आ जा सकते हैं। प्रतिपरीक्षण कंडिका 8 में उसने यह स्पष्ट बताया है कि घटना के समय चुनाव अधिकारी कमरे के अंदर थे और वह उनके पास नहीं पहुँच पाया था।

19. उक्त साक्षी भवरसिंह अ0सा0 2 जो कि घटना का आहत भी है उसके घटना दिनांक को घटनास्थल पर मौजूदगी का तथ्य अन्य अभियोजन साक्षी जोगेन्द्रसिंह अ0सा0 3, बंटी उर्फ सूर्यभान अ0सा0 4 तथा आरक्षक जगन्नाथप्रसाद अ.सा. 8 के कथनों एवं उक्त साक्षियों को प्रतिपरीक्षण में दिए गए सुझावों के परिप्रेक्ष्य में भी घटना दिनांक को घटनास्थल पर भवरसिंह के मौजूद होने के तथ्य की पुष्टि होती है। उक्त आहत साक्षी भवरसिंह जिसे कि घटना में चोटें भी लगी है उसके द्वारा आरोपी रामअख्यार को घटना में झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा कहीं भी उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत आए हुए कथन के परिप्रेक्ष्य में मानने का आधार नहीं है। आहत गवाह का साक्ष्य में एक विशेष स्थान होता है और उसकी घटना स्थल पर उपस्थिति का भी वह द्योतक है ऐसे साक्षी के कथन पर विश्वास किया जाना चाहिए जबतक कि उसके गवाह को निरस्त करने का आधार अभिलेख पर न हो और उसके साक्ष्य में बड़ा विरोधाभास या कमी न आई हो, जैसा कि इस संबंध में भजनलाल उर्फ हरभजन वि0 स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर 2011 एस.सी. 2552, अब्दुल सैय्यद वि0 स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश (2010)10 एस.सी.सी. 259 में अभिधारित किया गया है। इस प्रकार घटना के आहत साक्षी भवरसिंह अ0सा0 2 के कथनों के परिप्रेक्ष्य में घटना दिनांक को घटनास्थल पर आरोपी

रामअख्यार 12 बोर की बंदूक लेकर उपस्थित होना और उसके द्वारा बंदूक से उस पर गोली चलाया जाना जिससे उसके हाथ में कोहनी के नीचे व ऊपर चोट आने के संबंध में उक्त साक्षी का कथन अखण्डनीय रहा है और इस बिन्दु पर साक्षी विश्वसनीय पाया जाता है।

20. फरियादी भवरसिंह के उपरोक्त संबंध में किए गए कथन की पुष्टि अभियोजन साक्षी जोगेन्द्रसिंह अ0सा0 3 व बंटी उर्फ सूर्यभान अ0सा0 4 के कथन से भी होती है। उक्त दोनों ही साक्षी घटना दिनांक को घटना घटित होते समय घटनास्थल पर मौजूद होना बता रहा हैं। साक्षी जोगेन्द्रसिंह के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आरोपी रामअख्यार ने पोलिंगबूथ पर भवरसिंह को गोली मारी थी। उक्त साक्षी अन्य सहआरोपी शिशुपाल के लाठी लिए हुए घटनास्थल पर मौजूद होना बता रहा है। इसी प्रकार साक्षी बंटी उर्फ सूर्यभान अ0सा0 4 के द्वारा यह बताया है कि रामअख्यार ने 12 बोर की बंदूक से जान से मारने की नियत से उसके पिता के ऊपर फायर किया था जो कि उसके बाएं हाथ की कोहनी में लगी थी। उक्त साक्षी भी शिशुपाल एवं 5-6 अन्य लोगों जिनकी कि पहचान उसके द्वारा नहीं की जा सकी है के मौजूद होने बता रहा है।

21. साक्षी जोगेन्द्र सिंह अ0सा0 3 को यद्यपि अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, किन्तु उक्त साक्षी के कथन में आरोपी रामअख्यार के घटनास्थल पर 12 बोर की बंदूक लेकर आना और भवरसिंह पर फायर करने के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान उसके एवं आरोपीगण के परिवार के मध्य रंजिश के संबंध में सुझाव दिये गये हैं, किन्तु मात्र इस आधार पर कि पूर्व में दोनों के परिवारों के मध्य कोई विवाद एवं मुकदमेवाजी हुई है तो इस आधार पर साक्षी को हितबद्ध मानते हुए उसके सम्पूर्ण कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता। उक्त साक्षी के घटना दिनांक को फरियादी के साथ जाने और घटना पर ही मौजूद होने के संबंध में स्पष्ट रूप से घटना के पश्चात् दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी उल्लेख आया है। ऐसी दशा में साक्षी के घटनास्थल पर मौजूद होने का तथ्य भी स्पष्ट है। जहाँ तक अन्य आरोपी शिशुपाल के संबंध में उसके साक्ष्य कथन का प्रश्न है, उसके द्वारा आरोपी शिशुपाल को लाठी लिए हुए घटनास्थल पर मौजूद होना बताया गया है। किन्तु आरोपी शिशुपाल के लाठी लिए होना घटना दिनांक को घटनास्थल पर मौजूदगी का तथ्य न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में आया है एवं न ही फरियादी के कथनों में भी कोई तथ्य आया है। इस प्रकार आरोपी शिशुपाल के लाठी लेकर घटनास्थल पर मौजूद होने के तथ्य जो कि उक्त साक्षी के द्वारा पुलिस कथन प्र.पी. 3 में भी नहीं बताया गया है, उक्त बात प्रथम बार न्यायालय के समक्ष बताई जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में यद्यपि आरोपी शिशुपाल के लाठी लेकर घटनास्थल पर मौजूद होने के संबंध में

साक्षी का कथन विश्वास योग्य नहीं पाया जाता है। किन्तु आरोपी रामअख्यार के घटनास्थल पर 12 बोर की बंदूक के साथ मौजूद होने और भवरसिंह पर फायर करने के संबंध में उसके द्वारा किया गया कथन विश्वसनीय पाया जाता है और इस सीमा तक उसके कथन के आधार पर अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होती है।

22. साक्षी बंटी उर्फ सूर्यभान के कथन से भी घटना दिनांक को घटनास्थल पर आरोपी रामअख्यार के 12 बोर की बंदूक लिये हुए आने और जान से मारने की नियत से उसके पिता भवरसिंह पर फायर किया जाना बताया गया है। साक्षी बंटी उर्फ सूर्यभान अ0सा0 4 आरोपी शिशुपाल के भी और अन्य 5-6 लोगों की उपस्थिति घटनास्थल पर होना अपने साक्ष्य कथन में बता रहा है। यद्यपि उक्त साक्षी के द्वारा अन्य आरोपियों की कोई पहचान नहीं की गई है, जबकि उसके पुलिस कथन प्र.डी. 2 में अन्य आरोपियों के भी घटनास्थल पर हथियारों सहित मौजूद होने और घटना में भाग लिये जाने बावत् उल्लेख आया है और इन बिन्दुओं पर साक्षी के द्वारा पुलिस को दिया गया कथन प्र.डी. 2 एवं न्यायालय में हुए कथन में लोप तथा विरोधाभाष आया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि अन्य आरोपियों के घटनास्थल मौजूद होने और उनके द्वारा भी कृत्य किया जाने के संबंध में साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में नहीं बताया गया है, उसके सम्पूर्ण साक्ष्य कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता। साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से आरोपी रामअख्यार की घटना के समय घटनास्थल पर मौजूदगी और उसके द्वारा 12 बोर की बंदूक से उसके पिता भवरसिंह को जान से मारने की नियत से गोली चलाए जाने बावत् बताया है। उक्त साक्षी जिसकी कि घटना दिनांक को घटनास्थल पर मौजूदगी असंदिग्ध है तथा वह अपने पिता भवरसिंह और भाई योगेन्द्र के साथ घटनास्थल पर मौजूद होने के बारे में स्पष्ट रूप से बता रहा है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी उसकी घटनास्थल पर मौजूदगी होनी बताई गई है। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके द्वारा पुलिस को दिए गए कथन एवं न्यायालय में हुए कथन में कोई लोप या विरोधाभाष आया है इस आधार पर उसके सम्पूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। साक्षी के द्वारा आरोपी रामअख्यार के विरुद्ध किसी रंजिशवश या उसे झूठा लिप्त करने हेतु कोई कथन किया जा रहा हो, ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है।

23. घटना जो कि पंचायत चुनाव की बोटिंग के दौरान ग्राम खरौआ स्थित पोलिंगबूथ क्रमांक 176, 177 के बाहर की होनी बताई गई है, जिसमें उक्त पोलिंगबूथ पर सुरक्षा हेतु पुलिस कर्मचारी मौजूद थे जो कि अभियोजन साक्षी रामप्रतापसिंह अ0सा0 7, जगन्नाथ अ0सा0 8, सुरेन्द्रसिंह अ0सा0 10 तथा सुरेश दुवे अ0सा0 1 के कथन अभियोजन के

द्वारा कराए गए हैं। उपरोक्त अभियोजन साक्षीगण जो कि घटना के संबंध में स्वतंत्र साक्षी हैं उनके कथनों में भी यह तथ्य आया है कि घटना दिनांक को पोलिंगबूथ पर बोटिंग के दौरान गोलियाँ चलने की घटना हुई थी और उक्त घटना में भवरसिंह को गोली लगी थी। इस बिन्दु पर प्रधान आरक्षक जगन्नाथप्रसाद अ0सा0 8 के द्वारा स्पष्ट रूप से आरोपी रामअख्यार की पहचान की गई है और यह बताया है कि रामअख्यार के पास बंदूक थी और बंदूक से भवरसिंह को गोली लगी थी। उक्त साक्षी के द्वारा यद्यपि अन्य आरोपीगणों को केवल शक्ल से पहचानने के बारे में बताया है। जहाँ तक आरोपी रामअख्यार का प्रश्न है। रामअख्यार की स्पष्ट रूप से उक्त साक्षी के द्वारा पहचान की गई है। उक्त साक्षी को बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्ष किये जाने पर कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से यह सुझाव दिया गया है कि रामअख्यार अन्य लोगों के साथ घटनास्थल पर मौजूद था और रामअख्यारसिंह के पास बंदूक थी, उक्त सुझाव जो कि स्वयं बचाव पक्ष की ओर से आया है वह भी इस बात को प्रमाणित करता है कि आरोपी रामअख्यार घटना दिनांक को घटनास्थल पर बंदूक लिए हुए आया था। फरियादी भवरसिंह की घटनास्थल पर मौजूदगी के संबंध में भी स्पष्ट रूप से साक्षी को सुझाव दिया गया है। साक्षी जगन्नाथप्रसाद अ0सा0 8 जो कि एक स्वतंत्र साक्षी के रूप में है उसके कथन के परिप्रेक्ष्य में भी आरोपी रामअख्यार की घटनास्थल पर बंदूक लिए हुए मौजूद होने और इस दौरान फायर होना और भवरसिंह को चोट आने का तथ्य स्पष्ट रूप से सम्पुष्ट होता है। यद्यपि उक्त साक्षी के कथन के आधार पर अन्य आरोपी शिशुपाल या शेष विचारण किये जा रहे आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में घटनास्थल पर मौजूदगी या उनके द्वारा भी कोई कृत्य किये जाने के तथ्य की पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।

24. साक्षी रामप्रतापसिंह अ0सा0 7 के द्वारा भी आरोपी रामअख्यार की स्पष्ट रूप से पहचान की गई है और यह बताया गया है कि उसने रामअख्यार को घटनास्थल पर देखा था। यद्यपि उक्त साक्षी अन्य आरोपियों के नाम आरक्षक जगन्नाथ के द्वारा उसे बताया जाना अभिकथित किया है, किन्तु साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से आरोपी रामअख्यार के घटनास्थल पर मौजूद होना और उसकी पहचान की गई है तथा भवरसिंह को गोली लगना भी बताया है। यद्यपि प्रतिपरीक्षण में भवरसिंह को किसी के द्वारा गोली मारी गई यह वह नहीं बता सकता साक्षी अभिकथित किया है, किन्तु निश्चित रूप से साक्षी के कथन के आधार पर आरोपी रामअख्यार की घटनास्थल पर मौजूदगी और इसी दौरान घटना घटित होने का तथ्य उक्त साक्षी के कथन से स्पष्ट होता है।

25. साक्षी सुरेन्द्रसिंह अ0सा0 10 के द्वारा भी आरोपी रामअख्यार के साथ अन्य लोगों के मौजूद होने के बारे में बताया है। यद्यपि उक्त आरोपियों का नाम जगन्नाथ के द्वारा

उसे बताया जाना साक्षी अभिकथित कर रहा है, किन्तु निश्चित तौर से उक्त साक्षी के कथन से भी घटना दिनांक को घटनास्थल पर घटना घटित होने के तथ्य का पता चलता है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में दिए गए सुझाव कि आरोपी रामअख्यार की घटना स्थल पर मौजूदगी एवं आहत भवरसिंह के भी मौजूद होने के संबंध में स्पष्ट रूप से सुझाव आया है। ऐसी दशा में भी उक्त साक्षी के कथन के आधार पर भी आंशिक तौर से अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होती है। इसी प्रकार साक्षी सुरेश दुवे अ0सा0 1 के कथन से भी घटना स्थल पर गोली चलने का तथ्य आया है, यद्यपि उसके द्वारा यह बताया गया है कि गोली चलाने वाले को वह नहीं देख पाया था।

26. आहत भवरसिंह को चोटें आने की पुष्टि चिकित्सक डॉक्टर संतोष कुमार अ0सा0 9 के कथन से भी सम्पुष्ट है, जिनके द्वारा आहत के चिकित्सीय परीक्षण में वाईं भुजा में घाँव होना तथा वाईं भुजा में गोलाकार के बहुत सारे घाँव पाया जाना जो कि बाहर की ओर से अंदर की ओर धसे हुए थे, उसके शरीर से कुछ छर्रे निकाले भी गए थे। साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है। इस प्रकार चिकित्सकीय अभिमत के आधार पर भी अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होती है कि आहत भवरसिंह को घटना के पश्चात् उसकी वाईं भुजा में छर्रे की चोटें मौजूद थी।

27. आरोपी रामअख्यार से 12 बोर की बंदूक और कारतूस की जप्ती कर उनका परीक्षण कराया गया है जो कि परीक्षण में 12 बोर की इकनाली बंदूक चालू हालत में होना पाया है और उसके चलाए जाने के अवशेष होने पाया गया है तथा जप्तशुदा कारतूस को भी जीवित होना पाया गया है।

28. बचाव पक्ष के द्वारा बचाव में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि अभियोजन साक्षी हितबद्ध साक्षी होकर परस्पर संबंधी है, इस प्रकार के साक्षियों के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि अभियोजन प्रकरण का समर्थन फरियादी व अन्य साक्षियों के द्वारा समुचित रूप से नहीं किया गया है और फरियादी व अन्य चक्षुदर्शी साक्षी जोगेन्द्र को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है। चिकित्सीय अभिमत में भी आहत भवरसिंह को आई हुई चोट प्राणघातक होनी नहीं पाई गई है। फरियादी पक्ष के द्वारा आरोपीगण के साथ पूर्व रंजिश स्वीकार की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन का प्रकरण किसी भी आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता।

29. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। जहाँ तक अभियोजन साक्षियों का प्रश्न है, यद्यपि घटना के चक्षुदर्शी बताए गए साक्षीगण साक्षी बंटी उर्फ सूर्यभान आहत भवरसिंह का

पुत्र है एवं साक्षी जोगेन्द्र सिंह आहत भवरसिंह का भतीजा है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षीगण फरियादी के परिवार के सदस्य है उन्हें हितबद्ध मानते हुए उनके सम्पूर्ण कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता। जैसा कि इस संबंध में मानो वि0 स्टेट ऑफ तमिलनाडू 2007 सी.आर.एल.जे. 273, बीरेन्द्र पोतदार वि0 स्टेट ऑफ विहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233 उल्लेखनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिधारित किया गया है कि मात्र निकट संबंधी होने के आधार पर साक्षीगण की साक्ष्य का अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता है जबतक कि विचार करने का कोई कारण या आधार न हो तो ऐसे आरोपीगण को साक्षी मिथ्या फंसाने में रूचि रखते हैं और उन्हें झूठा लिप्त किये जाने के संबंध में उचित नींव रखी जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है कि आरोपी रामअख्यार को उक्त साक्षीगण के द्वारा झूठा लिप्त किये जाने हेतु उसके विरुद्ध कथन किये जा रहे हो।

30. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि अभियोजन साक्षीगण घटना के फरियादी भवरसिंह व चक्षुदर्शी साक्षी जोगेन्द्रसिंह पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं तथा साक्षी बंटी उर्फ सूर्यभान के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का समुचित रूप से समर्थन नहीं किया गया है। यद्यपि यह सत्य है कि अभियोजन प्रकरण जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताया गया है उसे रूप में अभियोजन प्रकरण का समर्थन उपरोक्त अभियोजन साक्षियों के द्वारा नहीं किया गाय है। घटनास्थल पर रामअख्यार के अतिरिक्त अन्य आरोपी शिशुपाल के ही मौजूद होने और उनकी ही पहचान उक्त साक्षियों के द्वारा की गई है। शिशुपाल के संबंध में भी साक्षियों के कथन में एकरूपता न होने से उसके भी घटना में संलग्न होने पर संदेह की स्थिति है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षियों के साक्ष्य कथन कुछ बिन्दुओं पर अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं कर रहे हैं और उनके कथन कुछ बिन्दुओं पर सत्य होना नहीं पाए गए हैं यह उनके सम्पूर्ण कथन को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता। **“एक बात में असत्य, तो सब बात असत्य”** यह सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता। मात्र इस आधार पर साक्षी के साक्ष्य का कुछ भाग सत्य होना नहीं पाया गया है, यह साक्षी के सम्पूर्ण साक्ष्य को झूठा मानने का आधार नहीं हो सकता। न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अनाज को भूसे से पृथक करे, जैसा कि इस संबंध में जेकी वि0 स्टेट 2007 सी.आर.एल.जे. 1671, कालीगुरमपदमाराय वि0 स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 1299 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिधारित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि अभियोजन साक्षियों के द्वारा अन्य आरोपियों की भी मौजूदगी के संबंध में कथन नहीं किया जा रहा है तो मात्र इस आधार पर यह मानते हुए कि उनके द्वारा ‘पिक एण्ड चूज’ अपना जा रहा है, सम्पूर्ण

अभियोजन प्रकरण तथा साक्षियों की विश्वसनीयता को प्रतिकूल मानने का आधार नहीं हो सकता।

31. जहाँ तक आहत भवरसिंह के शरीर पर आई हुई चोटों का प्रश्न है, यद्यपि इस संबंध में चिकित्सक डॉक्टर संतोष कुमार अ०सा० 9 के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि जो चोटें आहत को आई हुई थी वह मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, किन्तु मात्र इस आधार पर कि आहत भवरसिंह को आई हुई चोटें जो कि आरोपी रामअख्यार के द्वारा स्पष्ट रूप से उसकी ओर निशाना करते हुए मारी गई थी और संयोगवश गोली उसके हाथ में लग पाई। निश्चित तौर से यदि किसी व्यक्ति को गोली मारी जाए तो उसकी मृत्यु होने की संभावना होती है और यदि संयोगवश वह गोली उसके मार्मिक अंग पर न लगे तो इससे अपराध के संबंध में आशय या ज्ञान तथा परिस्थितियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। धारा 307 भा०दं०वि० के अपराध को घटित करने के लिए आशय या ज्ञान तथा इस हेतु कृत्य किया जाना मुख्य रूप से देखा जाता है, यह आवश्यक नहीं है कि आहत व्यक्ति को कोई चोट पहुँची हो। जैसा कि इस संबंध में सचिन जैना वि० स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल ए.आई.आर. 2009 एस.सी.डब्ल्यू 855 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिधारित किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में मात्र इस आधार पर कि गोली जो कि आरोपी रामअख्यार के द्वारा चलाई गई वह गोली आहत के मार्मिक अंग पर न लगते हुए उसके हाथ में लगी है अपराध प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में यह दर्शित है कि आरोपी का आशय और ज्ञान आहत भवरसिंह की हत्या करने का था और इस परिस्थितियों के द्वारा गोली चलाई गई।

32. बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी के रूप में प्रस्तुत साक्षी लोकेन्द्र वर्मा व०सा० 1 व जे.एस.कुशवाह व०सा० 2 जो कि घटना दिनांक को ग्राम खरौआ की पोलिंगबूथ क्रमांक 176 व 177 पर पीठासीन अधिकारी थे उनके कथनों में यह आया है कि घटना दिनांक को उनकी जानकारी में पोलिंगबूथ पर कोई झगडा या विवाद नहीं हुआ था और इस संबंध में पीठासीन अधिकारी की डायरी में झगडा विवाद होना बावत् कोई उल्लेख नहीं होने के बारे में उकने द्वारा बताया गया है, किन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों ही बचाव साक्षी लोकेन्द्र वर्मा व०सा० 1 और जे.एस.केशवाह व०सा० 2 जो कि मतदान केन्द्र के अंदर थे और वर्तमान घटना मतदान केन्द्र के बाहर की होनी बताई गई है। ऐसी दशा में यदि उनकी डायरी में मतदान के दौरान विवाद होने बावत् कोई उल्लेख नहीं है तो इससे बचाव पक्ष को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों ही बचाव साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह बात आई है कि लड़ाई झगडा बाहर होता रहा और वे लोग मतदान केन्द्र के अंदर थे और मतदान केन्द्र के अंदर कोई विवाद नहीं

हुआ था। उक्त तथ्य भी स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि मतदान केन्द्र के बाहर विवाद हुआ था। उक्त परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त बचाव साक्षी के कथन के आधार पर बचाव पक्ष को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता।

33. बचाव पक्ष की ओर से आरोपी रामअख्यार को भी बचाव साक्षी के रूप में परीक्षित किराया गया है जो कि बचाव साक्षी क्रमांक 3 के रूप में उसका परीक्षण हुआ है, उसके द्वारा यह बताया गया है कि वर्ष 2010 के पंचायत चुनाव में भवरसिंह का झगडा गांव वालों से हुआ था। जब भवरसिंह के बीच गांव के लोगों का झगडा हुआ था, तब वह दूसरी जगह ग्राम कमलपुरा पोलिंग पर था। फरियादी भवरसिंह बोटर भी नहीं था और उसके नाम वार्ड क्रमांक 5 गोहद नगरपालिका की सूची में है, इस संबंध में प्र.डी. 1 का दस्तावेज पेश किया गया है।

34. आरोपी रामअख्यार के उपरोक्त कथन का जहाँ तक प्रश्न है, साक्षी के द्वारा घटना दिनांक को पोलिंगबूथ क्रमांक 176 व 177 पर मौजूद न होना बताते हुए अन्य गांव की पोलिंगबूथ पर घटना के समय होना बता रहा है, किन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त आशय का बचाव उसके द्वारा प्रथम बार अपने कथन के दौरान लिया गया है, किसी भी अभियोजन साक्षी को उसके घटना दिनांक को घटनास्थल वाले पोलिंगबूथ पर मौजूद न होने के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया गया है, बल्कि अभियोजन साक्षियों जिसमें कि घटना के स्वतंत्र साक्षी जो कि पुलिस पार्टी भी है कि कथनों से घटना दिनांक को घटनास्थल वाली पोलिंगबूथ पर उक्त आरोपी की मौजूदगी स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुई हैं। ऐसी दशा में उसके द्वारा बचाव में लिया गया आधार कि वह घटनास्थल पर मौजूद न होकर कहीं अनयत्र मौजूद था यह मान्य किये जाने योग्य नहीं है और इस परिप्रेक्ष्य में उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की गई हो ऐसा भी मानने का आधार नहीं है। घटना के फरियादी आहत भवरसिंह के ग्राम खरौआ की बोटिंग लिस्ट में नाम न होने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में स्पष्ट रूप से फरियादी ने स्वीकार यिका है कि उसका नाम गांव की बोटरलिस्ट में नहीं है। घटना दिनांक को वह अपने पुत्र व भतीजे के साथ पोलिंगबूथ पर गया था। पोलिंगबूथ के बाहर सौ मीटर की परिधि के बाहर घटना घटित होनी बताया जा रही है। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर फरियादी का नाम गांव की बोटरलिस्ट में नहीं था यह सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद मानने का कोई आधार नहीं हो सकता। इसप्रकार बचाव साक्षियों के कथनों के आधार पर बचाव पक्ष को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता।

35. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में आरोपी रामअख्यार के द्वारा घटना दिनांक को घटनास्थल ग्राम खरौआ के स्कूल में पोलिंगबूथ के बाहर फरियादी



भवरसिंह पर फायर करना जो कि इस आशय या ज्ञान से या ऐसी परिस्थितियों में कि यदि भवरसिंह की मृत्यु होती तो वह हत्या का दोषी हो जाते और इस दौरान उक्त आहत भवरसिंह को उपहति कारित की। यद्यपि घटना दिनांक को विधि विरुद्ध जमाव का गठन होना तथा विचारित किये जा रहे आरोपीगण के विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किए जाने का तथ्य तथा अन्य विचारित किए जा रहे आरोपीगण के द्वारा घटना कारित करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए भवरसिंह को चोटें पहुँचाई जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 5 व 6:-

36. अभियोजन प्रकरण के अनुसार आरोपी नारायण के आधिपत्य से एक 315 बोर का कट्टा वैध अनुज्ञप्ति के बिना रखे हुए पाए गए और उक्त अग्नेयशस्त्र का प्रयोग उसके द्वारा प्रांगघातक उपहति कारित करने के प्रयोजन हेतु उपयोग में लिया जाने के लिए अपने पास रखे होना बताया गया है। इस बिन्दु पर विवेचना अधिकारी के.एस.तोमर अ0सा0 13 के द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी नारायण से पूछताछ करने पर उसने दिनांक 27.03.2010 को बताया कि 315 बोर का कट्टा एवं जिंदा कारतूस घर में छिपाया हुआ है और चलकर बरामद करा देना बताया था जिस पर से प्र.पी. 6 का मेमोरेडम कथन लेखबद्ध किया गया। आरोपी नारायण के बताए अनुसार दिनांक 28.03.10 को एक देशी कट्टा व एक राउण्ड जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 7 बनाया जाना उनके द्वारा बताया गया है।

37. उक्त मेमोरेडम एवं उसके आधार पर जप्ती की कार्यवाही का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में प्रतिपरीक्षण में साक्षी के.एस. तोमर अ0सा0 13 के द्वारा आरोपी नारायण न्यायालय प्रांगण में उनको मिलना बता रहा है, आरोपी से थाने पर पूछताछ करना बताया है। पूछताछ करते समय पुलिस स्टाफ के अलावा अन्य कोई आदमी न होना बताया है, किन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मेमोरेडम प्र.पी. 6 के समय जवानसिंह एवं सुन्दरसिंह मौजूद होना अभियोजन के द्वारा बताया गया है और उक्त दोनों ही साक्षी जवानसिंह और सुन्दरसिंह के समक्ष जप्ती की कार्यवाही की जानी बताई गई है। अभियोजन के द्वारा साक्षी जवानसिंह अ0सा0 5 और सुरेन्द्रसिंह अ0सा0 6 के रूप में पेश किया गया है, किन्तु उपरोक्त दोनों साक्षियों के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का किसी प्रकार से कोई समर्थन नहीं किया गया है। यद्यपि प्र.पी. 6 व 7 पर अपने हस्ताक्षर होना उनके द्वारा स्वीकार किया गया है, किन्तु उक्त कागजों पर थाने में उनसे पुलिस के द्वारा हस्ताक्षर करा लेना उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार मेमोरेडम एवं जप्ती के स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा उपरोक्त

कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया गया है।

38. जहाँ तक जप्तीकर्ता अधिकारी के.एस.तोमर अ0सा0 13 के इस संबंध में किए गए कथन एवं उनके द्वारा की गई कार्यवाही की विश्वसनीयता का प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि मेमोरेडम प्र.पी. 6 और जप्ती प्र.पी. 7 उनकी हस्तलिपि में नहीं है, उन्होंने किसी आरक्षक से लिखवाया था। इसके अतिरिक्त ग्राम खरौआ में आरोपी नारायण का मकान कहाँ बना हुआ है और मकान की स्थिति व उसके दरवाजे की स्थिति आदि कोई भूमी तथ्य साक्षी के द्वारा नहीं बताया जा सका है। साक्षी जवानसिंह और सुरेन्द्रसिंह ग्राम खरौआ में ही मिलना उनके द्वारा कंडिका 5 में बताया गया है, किन्तु उक्त साक्षी न तो ग्राम खरौआ के निवासी है और न ही उनके द्वारा जप्ती की कार्यवाही का कोई समर्थन किया गया है। इसके अतिरिक्त जप्तशुदा वस्तुओं पर कोई भी शील नमूना न लगाया जाना भी साक्षी के द्वारा स्वीकार किया गया है। निश्चित तौर से जप्ती की कार्यवाही की विश्वसनीयता हेतु शील नमूना लगाया जाना आवश्यक है जो कि नहीं की गई है। इस प्रकार मात्र साक्षी के.एस. तोमर के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों के परिप्रेक्ष्य में आरोपी नारायणसिंह के आधिपत्य से उसके मेमोरेडम कथन के आधार पर 315 बोर के देशी बना कट्टा एवं कारतूस की जप्ती का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता।

39. यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अग्नेयशस्त्र की कोई शिनाख्तकी या पहचान भी नहीं कराई गई है। यद्यपि इस संबंध में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी. 1 में परीक्षण हेतु भेजे गए 315 बोर के कट्टे को चालू हालत में होना तथा कारतूस को जिंदा होना अभिलिखित किया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि परीक्षण किया गया कट्टा एवं कारतूस चालू हालत में था जबकि आरोपी नारायण से उनकी जप्ती का तथ्य ही युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित नहीं है। मात्र परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसी परिप्रेक्ष्य में साक्षी योगेन्द्रसिंह अ0सा0 11 जो कि आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृत के संबंध में साक्षी है और तत्कालीन दण्डाधिकारी रघुराज राजेन्द्रन के द्वारा प्र.पी. 10 के अनुसार आरोपी नारायण के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृत दिया जाना बता रहा है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृत प्रदान की गई है जबकि आरोपी के आधिपत्य से जप्ती का तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है उसके विरुद्ध इस संबंध में अपराध प्रमाणित मानने का कोई आधार नहीं हो सकता।

40. इस प्रकार आरोपी नारायण के आधिपत्य से 315 बोर का कट्टा व जिंदा कारतूस के जप्ती का तथ्य व उसके द्वारा उक्त अग्नेयशस्त्र को घटना दिनांक को घटना

समय व स्थान पर अपराध करने हेतु उपयोग में लाने हेतु रखे जाने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं है।

41. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में घटना दिनांक को घटना समय व स्थान पर आरोपी रामअख्त्यार के द्वारा फरियादी भवरसिंह पर इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में फायर किया जाना कि यदि भवरसिंह की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी होते और इस प्रकार आहत भवरसिंह को उपहति कारित करने का तथ्य प्रमाणित है। प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण की घटना दिनांक को घटनास्थल पर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया जाना अथवा रामअख्त्यार के अतिरिक्त अन्य आरोपीगण के द्वारा घटना कारित करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए भवरसिंह की हत्या के प्रयत्न करना और उसे चोटें पहुँचाई जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है।

42. तदनुसार प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का वर्तमान प्रकरण आंशिक रूप से प्रमाणित होना पाते हुए आरोपी रामअख्त्यार पुत्र सरदार सिंह के विरुद्ध धारा 307 भा0दं0वि0 का अपराध प्रमाणित होना पाया जाता है, जबकि वैकल्पिक अपराध धारा 307/149 एवं धारा 148 भा0दं0वि0 के आरोप से उक्त आरोपी को दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में अन्य आरोपी जितेन्द्र, शिशुपाल को धारा 307 सहपठित धारा 149 एवं 147 भा0दं0वि0 तथा आरोपी गुड्डू उर्फ विश्वनाथ, राकेश को धारा 307 सहपठित धारा 149 एवं 148 भा0दं0वि0 तथा आरोपी नारायण को धारा 307/149, 148 भा0दं0वि0 एवं धारा 25(1-बी)ए, 27 आयुध अधिनियम के आरोपी दोषमुक्त किया जाता है।

43. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु आरोपी रामअख्त्यार के संबंध में निर्णय अस्थाई रूप से स्थगित किया जाता है।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(डी.सी.थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

पुनश्चयः—

44. दण्ड के प्रश्न पर आरोपी रामअख्त्यार के विद्वान अभिभाषक को सुना गया।

उनका निवेदन है कि आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित प्रथम अपराध है, उसके विरुद्ध पूर्व में कोई अन्य दोषसिद्धि नहीं है। वह संभ्रात नागरिक होकर सामाजिक कार्यकर्ता है। ऐसी दशा में दण्ड के बिन्दु पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यूनतम दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया है।

45. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आरोपी रामअख्यार के विरुद्ध धारा 307 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध की दोषसिद्धि होनी पाई गई है, जो कि अग्नेयशस्त्र के द्वारा आहत भवरसिंह को चोटें भी पहुँची है। अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी रामअख्यार को धारा 307 भा0दं0वि0 के अपराध हेतु **पांच वर्ष** के सश्रम कारावास की सजा एवं 5000/- (पांच हजार रुपए मात्र) रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में आरोपी को 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताई जाए।

46. आरोपी के द्वारा प्रकरण के अन्वेषण, जाँच एवं विचारण के दौरान निरोध में बिताई गई अवधि उसकी मूल सजा में समायोजित की जाए। इस संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाणपत्र प्रथक से बनाया जाए। अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर उसमें से 4000/- (चार हजार रुपए) रुपए प्रतिकर स्वरूप आहत भवरसिंह को दिलाए जाने का आदेश दिया जाता है।

47. प्रकरण में जप्तशुदा 315 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा राउण्ड अपील अवधि पश्चात् जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को निराकरण हेतु भेजा जावे एवं जप्तशुदा खोखे मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी.सी.थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)

(डी.सी.थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)